प्रकाशक—
सूरजचन्द्र डांगी
सत्याश्रम वर्धा (सी. पी.)

इजाजत

जो सज्जन 'हिन्दू-मुसलिम-मेल' का मुफ्त में प्रचार करने के लिये या अधिक से अधिक एक आना कीमत रखकर प्रचार करने के लिये इस पुस्तक को छपाना चाहें उन्हें इजाजत है। और इसी शर्तपर अनुवाद कराकर छपाने की भी इजाज़त है।

जो सज्जन सौ दो सौ कापियाँ बाँटना चाहें उन्हें छः रुपया सैकड़े के हिसाब से हिन्दू मुसलिम-मेल की पुस्तकें सत्याश्रम वर्धा से मिल सकती हैं। पर कम से कम पचास पुस्तकें अवश्य लेना चाहिये। पुस्तक मंगाने का पोस्टेज आदि खर्च मँगाने वाले के ज़िम्मे होगा।

जो बाँटने के लिये अपनी तरफ से छपाना चाहें उनका भी इन्तजाम सत्याश्रम वर्धा कम खर्च में कर देगा।

जो सम्पादक अपने पत्र में यह पुस्तिका छापेंगे वे भी एकता प्रचार के पुण्य के भागी होंगे।

मूल्य
डेढ़ आना
एक रुपया दर्जन-या ८) सैकड़ा

मुद्रक—
सत्येश्वर प्रिंटिंग प्रेस
बोरगांव वर्धा
सी. पी.

हिन्दू मुस्लिम मेल

हिन्दु मुसलमान एक ही देश के निवासी हैं इनके आर्थिक स्वार्थ एकसे हैं--दिनरात का जीवन इस तरह मिला हुआ है कि अलग नहीं किया जा सकता। इतना होनेपर भी आज दोनों में इतना वैर फैलासा मालूम होता है मानों साँप और नौले सरीखा उनमें जन्म से वैर हो। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो दोनों की एकता में विश्वास ही नहीं करते।

पर गौर से देखने से पता लगता है कि हिन्दू मुसलमान दोनों ही एक दूसरे से मिलते जा रहे थे। असहयोग के बाद राज-नैतिक स्वार्थ के कारण अगर दोनों में जानबूझकर वैर पैदा न कराया गया होता तो इन १७-१८ वर्षों में दोनों बिलकुल मिल गये होते। पर इसमें जिनके स्वार्थ को धक्का लग रहा था उनने लोगों के भीतर छिपे हुए शैतान को उभाड़ा-दोनों की बरबादी की और दोनों की कब्र पर अपना महल बनाना चाहा। वे आज अपनी कोशिश में सफल हुए मालूम होते हैं पर यह भूलना न चाहिये कि आसमान कितने ही घने बादलों से क्यों न छा जाये सूर्य का उदय रुक नहीं सकता। इसी तरह हिन्दू मुसलमानों का मेल हजार कोशिशों पर भी रुक नहीं सकता।

इस देश के लिये यह नया प्रसंग नहीं है । एक दिन आर्य अनार्यो का झगड़ा हिन्दू मुसलमानों से बढ़कर था । दोनों की वंशपरम्परा हिन्दू मुसलमानों की अपेक्षा अधिक जुदी थी फिर भी आज आर्य अनार्य साफ हो गये हैं -- दोनों की मिलकर एक कौम बन गई है, एक सभ्यता और एक धर्म बन गया है ।

अपनी अपनी विशेषता से चिपके रहने से विशेपता और समानता सब नष्ट होजाती है । अहंकार सब को खा जाता है । आर्यों और नागों ने जब इस तत्व को समझा तब दोनों में एकता हुई ।

आज भी वैसी ही परिस्थिति है । हिन्दू मुसलमान मिलकर एक नहीं हो सकते यह मान्यता बहुतों की है । पर अगर आर्य और नाग मिलकर एक होगये तो मैं नहीं समझता कि हिन्दू मुसलमानों में उनसे अधिक क्या अन्तर है । नागयज्ञ सरीखी क्रूरता तो हिन्दू और मुसलमान दोनों में से कोई भी नहीं दिखासकता ।

हिन्दू मुसलमानों में क्या क्या भेद कहा जाता है इसकी एक तालिका बनाकर उसपर विचार करने से उन भेदों की निस्सारता मालूम होजायगी ।

	हिन्दू	मुसलमान
१	मूर्त्तिपूजक	मूर्त्तिविरोधी
२	मांसत्यागी	मांसभक्षी
३	गोवधविरोधी	शूकरवध विरोधी
४	बहुदेववादी	एकईश्वरवादी
५	पुनर्जन्म मानते हैं	कयामत मानते हैं
६	पूजामें गाते हैं बाजा बजाते हैं	नमाज में शान्त रहते हैं

७	पूर्व तरफ़ प्रणाम करते हैं---	पश्चिम तरफ़ नमाज पढ़ते हैं
८	चोटी रखते हैं	दाढ़ी रखते हैं
९	हिन्दुस्थानी हैं	अरबी हैं
१०	लिपि देवनागरी हैं	लिपि फारसी है
११	भाषा हिन्दी है	भाषा उर्दू है ।
१२	धार्मिक उदारता अधिक	धार्मिक उदारता कम
१३	नारीअपहरण नहीं करते-	-करते हैं
१४	मुसलमानों को अछूत समझते हैं	किसी को अछूत नहीं समझते

१ मूर्त्तिपूजा

१ आर्यसमाजी ब्राह्मसमाजी स्थानकवासी आदि अनेक सम्प्रदाय हिन्दुओं में भी ऐसे हैं जो मूर्तिपूजा के विरोधी हैं सिक्ख और तारणपंथी अर्ध मूर्तिपूजक हैं अर्थात् वे शास्त्र की पूजा मूर्त्ति सरीखी करते हैं और मुसलमान भी अर्ध मूर्त्तिपूजक हैं, वे ताजिया और कब्र पूजते हैं, काबा का पत्थर चूमते हैं, मसजिदों में जूते पहिन कर जाने की मनाई करते हैं; यह सब भी एक तरह की मूर्त्तिपूजा है, ईंट चूना पत्थर में आदरभाव भी मूर्त्तिपूजा है इसलिये हिन्दू मुसलमान दोनों ही मूर्त्तिपूजक हैं। यों असल में न हिन्दू मूर्त्ति-पूजक हैं न मुसलमान मूर्तिपूजक हैं । मूर्त्ति या ईंट चूना पत्थर को ईश्वर या खुदा कोई नहीं मानता, सभी इन्हें खुदा या ईश्वर को याद करानेवाला निमित्त मानते हैं । किसी को मसजिद देखकर खुदा याद आता है किसी को मूर्त्ति देखकर खुदा याद आता है । सब

धर्मस्थान या प्रतीक खुदा को पढ़ने या समझने की किताबें हैं। रामजी की मूर्त्ति के सामने पूजा करनेवाला हिन्दू रामजी की नीतिमत्ता प्रजापालकता त्याग उदारता वीरता आदि गुणों का वर्णन करता है यह नहीं कहता कि हे भगवान, तुम संगमरमर के बने हो बड़े चिकने हो बड़े बजनदार हो आदि। इसी प्रकार मक्का की तरफ़ मुँह करने नमाज पढ़नेवाला मुसलमान मक्का के पत्थरों का ध्यान नहीं करता, दोनों सिर्फ़ सहारा लेते हैं ध्यान तो खुदा या ईश्वर का करते हैं इसलिये दोनों मूर्त्तिपूजक नहीं हैं।

हां, इस्लाम में जो अमुक तरह की मूर्तिपूजा की मनाई की गई है उसका कारण यह है कि हजरत मुहम्मद साहिब के समय में मूर्तियों के नाम पर दलबन्दी लड़ाई झगड़े बहुत हो गये थे। हरएक मूर्त्ति मानों ईश्वर हो और मनुष्यों के समान मानों ईश्वरों में भी झगड़े होते हों। मूर्त्ति को आधार बनाकर ये सब बुराइयाँ फलफूल रहीं थीं इसलिये मूर्तियां अलग कर दी गईं। पर ईश्वर को याद करने के लिये जो सहारे थे वे नष्ट नहीं किये गये। मतलब यह कि बुराई मूर्त्ति में नहीं है किन्तु उसे ईश्वर मानने में, मूर्त्तियों के समान ईश्वर को जुदा जुदा कर लड़ाने में उनके निमित्त वैर विरोध बढ़ाने में है। इस बात को हिन्दू भी मंजूर करेगा मुसलमान भी मंजूर करेगा। मूर्त्ति का सहारा लेना नास्तिकता नहीं है। यह तो रुचि योग्यता आदि का सवाल है। इसलिये मूर्त्ति अमूर्त्ति को लेकर सम्प्रदाय न बनाना चाहिये। हो सकता है कि मुझे मूर्त्ति के सहारे की ज़रूरत न हो और मेरे बच्चे को या पत्नी को हो अथवा मुझे उसकी जरूरत हो किन्तु मेरे बेटे को न हो इसलिये

मूर्त्ति अमूर्त्ति के सम्प्रदाय न बनना चाहिये । रुचि के अनुसार उपयोग करना ही उचित है ।

जब कि हिन्दू बिना मूर्त्ति के सन्ध्या सामायिक प्रतिक्रमण आदि धार्मिक क्रियाएं करते हैं तब मूर्त्ति के बिना नमाज क्यों नहीं पढ़ी जासकती और जब मुसलमान कब्र ताजिया काबा आदि का सहारा लेते हैं तब मूर्त्ति में क्या झगड़ा है । यह तो कोई बात न हुई कि हजरत मुहम्मद साहिब की कब्र का विरोध किया जाय पर दूसरे फकीरों की कब्रों पर रेवड़ियां चढ़ाई जांय, अपनी अपने बाप की और राजा महाराजाओं की देशसेवकों की और अनेक सुन्दरियों की तसवीरें घर में लटकाई जांय किन्तु हजरत मुहम्मद साहिब की तसवीर का विरोध किया जाय । यह सब तो एक तरह से हजरत का अपमान कहलाया । हजरतने अगर अपना स्मारक बनाने की मनाई की थी तो यह तो उनकी नम्रता थी और यह विचार था कि लोग कहीं बुतपरस्त न बन जाँय । खैर, सीधी सी बात यह है कि यह सब रुचि और लियाकत का सवाल है । इसमें विरोध करने की या किसी बात पर जोर देने की जरूरत नहीं है । हिन्दू और मुसलमान दोनों को रुचि और लियाकत पर ध्यान देना चाहिये । इन्हें मजहबी भेद का कारण न बनाना चाहिये । व्यवहार में तो हिन्दुओं में भी मूर्त्तिपूजक हैं और उसके विरोधी भी हैं और मुसलमानों में भी मूर्त्तिपूजक हैं और उसके विरोधी भी हैं ।

२ मांसभक्षण

१--हिन्दुओं में सौ में पचहत्तर हिन्दू मांसभक्षी हैं । शूद्र कहलानेवाली अधिकांश जातियां मांस खाती हैं बंगाल उड़ीसा मैथुल

आदि प्रान्तों में उच्चजाति के कहलानेवाले ब्राह्मण आदि भी मांस खाते है। क्षत्रिय लोग अधिकतर मांस खाते हैं। सिक्ख मांस खाते हैं ईसाई भी खाते है इसलिये मांसभक्षण हिन्दू मुसलमानों के भेद का कारण नहीं कहा जासकता। बहुत से बहुत इतना ही हो सकता है कि जो लोग मांसभोजन से बहुत अधिक परहेज करते है वे मांसभक्षियों के यहां भोजन न करें उनके साथ भोजन करने में साधारणतः आपत्ति न होना चाहिये।

पर इस हालत मे हिन्दू मुसलमान का भेद न होगा मांस-भोजी शाकभोजी का भेद होगा।

हां, मांसभोजन का विरोध हिन्दू और मुसलमान दोनों करते हैं। अहिंसा को दोनों महत्व देते हैं। यही कारण है कि हज करते समय हर एक मुसलमान को मांस का बिलकुल त्याग करना पड़ता है जूं मारना भी मना है। साधारण दिनों में अगर किसी प्राणी को मारना भी पड़े तो तड़पाना मना है। अगर हिंसा धर्म होता तो हज के दिनों मे अधिक से अधिक मांस खाने का उपदेश होता, मांसत्याग का नहीं। हिन्दुओं में भी मांसत्याग को बड़ा पुण्य माना हैं। इस-प्रकार मूल में तो दोनों ही अहिंसावादी हैं आदत के कारण या कमजोरी के कारण जो हिंसा रह गई है वह दोनों तरफ़ है ऐसी हालत में झगड़ने का क्या कारण है?

३ गोवध

गोवध हो या शूकरवध हो या और भी किसी प्राणी का वध हो, जब दोनों ही अहिंसा को महत्व देते हैं तब दोनों को वध का विरोधी होना चाहिये। गोवध और शूकरवध के विरोध पर जो

खास जोर दिया जाता है उसके कारण ढूँढने की अगर कोशिश की जाय तो दोनों एक दूसरे के मत का आदर करेंगे। हिंदुस्थान कृषिप्रधान देश है। खेती की जरूरत हिंदुओं को भी है और मुसलमानों को भी है और खेती में यहां गाय का जो महत्व है वह सबको मालूम है इसलिये गोवध का विरोध मुसलमानों को भी करना चाहिये।

शूकरवध देखने का दुर्भाग्य अगर किसी को मिला हो तो वह मांसभक्षी ही क्यों न हो तो भी उसका दिल थर्रा जायगा। जिस तरह वह चीत्कार करता है - जिस तरह वह ज़िंदा जलाया जाता है इससे क्रूर से क्रूर आदमी की रूह काँप जाती है। परिस्थिति अनुकूल न होने से यद्यपि इस्लाम पूरी तरह से पशुवध नहीं रोक पाया फिर भी इस तरह की क्रूरता का विरोध तो उसने किया ही। किसी भी जानवर को तड़पाने की अनुमति तो उसने कभी न दी, इस दृष्टि से उसका शूकरवध विरोध बहुत ही उचित है। हिंदू तो अपने को मुसलमानों की अपेक्षा अधिक अहिंसावादी मानते हैं इसलिये उन्हें तो मुसलमानों की अपेक्षा भी अधिक शूकरवध-विरोधी होना चाहिये।

पर यह सवाल हिंसा अहिंसा की दृष्टि से विचारणीय नहीं रह गया है इसके भीतर अधिकार का अहंकार घुस गया है। कसाईघर में दिन-रात सैकड़ों गायें कटती हैं वे गायें भी प्रायः हिंदुओं के यहां से खरीदी जातीं हैं, इस पर हिंदुओं को इतराज नहीं होता पर ईद के गोवध पर इतराज होता है। इसलिए यह

प्रश्न अधिकार का प्रश्न वन जाता है।

जहां अधिकार का सवाल आया वहां मुसलमानों को अपने अधिकार की रक्षा के लिये गोवध करना जरूरी हो जाता है इसलिये गोवध रोकने का सव से अच्छा तरीका यह है कि साधारण पशु वध के कानून के अनुसार मुसलमानों को कुर्वानी करने दी जाय। हां, आमरास्ते पर या खुली जगह में पशुवध न करने का जो सरकारी कानून है वह धार्मिक भावना से एक हिन्दू के नाते नहीं, किन्तु एक साधारण नागरिक के नाते पालन कराना चाहिये। सीधी वात यह है कि गोवध के प्रश्न पर हिन्दुओं को पूरी उपेक्षा कर देना चाहिये। गोवध रोकने के लिये शूकरवध करना निरर्थक है क्योंकि इससे गोवध वढ़ेगा और दोनों पक्षों में होनेवाला मनुष्यवध और हृदयवध और भी कई गुणा होगा।

गोवध रोकने का वास्तविक उपाय यह है कि गोपालन इस तरह किया जाय कि किसी को गाय वेंचने की ज़रूरत ही न पड़े। आज जो हजारों की संख्या में गोवध हो रहा है उसमें हिन्दुओं का हाथ कुछ कम नहीं है। तव वर्ष छः महीने में होनेवाला गोवध हिन्दू मुसलमानों के भाईचारे का वध क्यों करे?

४ वहुदेववाद

हिन्दू वहुदेववादी हैं पर अनेकेश्वरवादी नहीं हैं। मुसलमानों के समान वे भी एकेश्वरवादी हैं और हिन्दुओं के समान मुसलमान भी वहुदेववादी हैं। हिन्दू एक ही परमात्मा मानते हैं उसके अवतार अंश विभूतियाँ दूत आदि अनेक मानते हैं इस प्रकार नाना रूपों

से एक ही ईश्वर को पूजते हैं। मुसलमान एक ही खुदा के हजारों पैगम्बर मानते हैं और उनका सन्मान भी करते हैं। हजारों पैगम्बरों के होने पर भी जैसे खुदा एक है उसी प्रकार हजारों सेवकों भक्तों अवतारों के होने पर भी ईश्वर एक है।

फिर इस बातको लेकर हिन्दुओं हिन्दुओं में इतना मतभेद है जितना हिन्दू मुसलमानों में नहीं है। बहुत से हिन्दू ईश्वर ही नहीं मानते, मुसलमान ईश्वर तो मानते हैं। अगर अनीश्वरवादी हिन्दुओं से ईश्वरवादी हिन्दू प्रेम से मिलकर रह सकते हैं उनसे सामाजिक सम्बंध भी रख सकते हैं जैसे जैनियों और बौद्धों से रखते हैं, तो ईश्वर को न माननेवाले हिन्दू और मुसलमान दोनों मिलकर एक क्यों नहीं हो सकते?

५ पुनर्जन्म

हिंदुओं का पुनर्जन्म और मुसलमानों की कयामत इसमें वास्तव में कोई फर्क नहीं है। दोनों मान्यताओं का मतलब यह है कि मरने के बाद इस जन्म के पुण्य पाप का फल मिलेगा। अब वह फल मरने के बाद तुरन्त ही मिलना शुरू होजाय या कुछ समय बाद मिले इसमें धार्मिक दृष्टि से कोई अन्तर नहीं है। क्योंकि दोनों से पाप से भय और पुण्य का आकर्पण पैदा होता है। इस-लिये इस बात को लेकर भी दोनों में कोई भेदभाव नहीं है।

६ बाजा

हिंदू पूजा में बाजा बजाते हैं, पर मुसलमान भी बाजे के विरोधी नहीं हैं। ताजियों के दिनों में तो इतने बाजे बजाते हैं कि शहर भर की नींद हराम हो जाती है। और हिन्दू पूजा में बाजा

बजाने पर भी सन्ध्यावन्दन आदि के समय ऐसे चुप रहते हैं कि स्वास भी रोक लेते हैं। इससे इतना पता तो लगता है कि बाजे के विरोधी न हिन्दू हैं न मुसलमान, न मौन का विरोधी दोनों में से कोई है। बात सिर्फ मौके की है।

इस देशमें बाजे का इतना अधिक रिवाज है कि उसे बीमारी तक कहा जा सकता है। कभी कभी मुझे व्याख्यान देते समय इसका बड़ा कडुआ अनुभव हुआ करता है। व्याख्यान खूब जमा है श्रोता तल्लीन हैं इतने में पड़ौस के मन्दिर से घंटे की आवाज आई और ऐसी आई कि मेरी आवाज बेकाम होगई। पुजारियों को घंटे से कितना मजा आया सो तो मालूम नहीं पर सैकड़ों और कभी कभी हजारों श्रोताओं का मजा किरकिरा होगया यह तो सब ने अनुभव किया। कभी कभी सभा के पाससे विवाह आदि के जुलूस ही निकलकर मजा किरकिरा कर दिया करते हैं, इससे इतना तो लगता है कि बाजों को कुछ कम करना जरूरी है। पर इससे भी जरूरी यह है कि जो कुछ हो नागरिकता के आधार पर बनाये गये कानून के अनुसार हो या समझा बुझाकर हो। नागरिकता के आधार पर नियम कुछ निम्नलिखित ढंग से बनाये जा सकते हैं।

क—रात के दस बजे के बाद सुबह पांच बजे तक बाजा बजाना बन्द रहे।

ख—मसजिद में जब नमाज पढ़ी जाती हो तब आसपास बाजा बजाना बन्द रहे। पर इसकी सूचना किसी झंडे या निशान से दी जाय और समय नियत रहे।

ग—जहां पचीस या पचास आदमियों से अधिक की सभा भरी हो व्याख्यान हो रहा हो तो सूचना मिलते ही वहां बाजा बजाना बन्द रहे।

घ—बाजा बजाने पर टेक्स लगाया जाय, आदि। इसप्रकार के नियम बनाये जाँय पर वे नागरिक अधिकारों की समानता से रक्षा करते हों मज़हब के घमंड की रक्षा न करते हों।

पर जब तक यह बाजा कानून न बने तब तक गोवध के समान इस प्रश्न पर भी पूरी उपेक्षा की जाय। जिसको बजाना हो बजाये न बजाना हो न बजाये। व्याख्यान होता हो, नमाज पढ़ी जाती हो किसी घर में गमी हुई हो तो इस बात की सूचना बाजे बजवानेवालों को करदी उन्हें जची तो ठीक, न जची तो न सही, अधिकार के बल पर या डरा धमकाकर या मारपीट कर बाजे रुकवाने का कोई मतलब नहीं। इससे तो प्राणों के ही बाजे बजजाते हैं। पूजा और नमाज सब नष्ट होजाते हैं।

सच्चे धर्म की बात तो यह है कि अगर नमाज पढ़ी जाती हो और ठाकुरजी की सवारी गाजे बाजे के साथ निकले तो मसजिद के सामने आते ही सवारी को रुक जाना चाहिये और सब लोक शान्ति से इस तरह खड़े रह जाँय मानों नमाज में शामिल होगये हों। नमाज खत्म होनेपर मुसलमान लोग सवारी को सन्मान से विदा करें। अगर सवारी नमाज के पहिले ही आजाय तो सवारी को सन्मान से विदा देने पर मुसलमान लोग नमाज पढ़ें अगर इसके लिये दस पांच मिनट नमाज में देर हो जाय तो कोई हानि नहीं।

हिन्दू और मुसलमान किसी तरह दो हो सकते हैं पर ईश्वर

और खुदा तो दो नहीं हो सकते तब खुदा के लिये ईश्वर का और ईश्वर के लिये खुदा का अपमान किया जाय तो क्या खुदा या ईश्वर किसी भी तरह खुश होगा।

यह सचाई अगर ध्यान में आजाय तो नमाज और पूजा का झगड़ा ही मिट जाय।

लोग प्रतिदिन एक ही तरह से नमाज पढ़ते हैं उन्हें कभी पूजा का भी तो मजा लेना चाहिये और जो सदा पूजा करते हैं उन्हें नमाज का भी मजा लेना चाहिये। खाने पीने में जब हमें नये नये स्वाद चाहिये तब क्या मन को नये नये स्वाद न चाहिये? और उस हालत में तो ये कर्तव्य हो जाते हैं जब ये नये नये स्वाद प्रेम शान्ति और शक्ति के लिये बड़े मुफीद साबित होते हैं। पूजा नमाज प्रार्थना आदि सब का उपयोग हमारे जीवन के लिये हर-तरह मुफीद है।

७ पूर्व-पश्चिम

एक भाई ने पूछा कि आप हिंदू मुसलमानों में क्या मेल करेंगे? एक पूर्व को देखता है और एक पश्चिम को? मैंने कहा-- मिलते समय या बातचीत करते समय ऐसा होना जरूरी है। आप जिस तरफ को मुँह किये हैं उस तरफ को अगर मैं भी करूँ तो आप मेरी पीठ देखेंगे, बात क्या करेंगे? मैं अगर छाती से छाती लगाकर आप से मिलना चाहूँ तो जिस तरफ को आपका मुँह होगा उससे उल्टी दिशा में मेरा मुँह होगा अन्यथा मिल न सकेंगे। मिलने के लिये जब एक दूसरे से उल्टी दिशा में मुँह करना जरूरी है तब पूजा नमाज के मिलने में उल्टी दिशा बाधक क्यों बने?

समझ में नहीं आता कि ऐसी छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में अड़ंगा क्यों डालती हैं। और मर्म की बात समझने की कोशिश क्यों नहीं की जाती ! दिशा का झगड़ा एक तो निःसार है और निःसार न भी हो तो भी बेबुनियाद है। मुसल्मन नमाज के लिये मक्का की तरफ मुँह करते हैं; हिंदुस्थान से मक्का पश्चिम में है इसलिये पश्चिम में मुँह किया जाता है, योरुप में नमाज पूर्व में मुँह करके पढ़ी जाती है -- दक्षिण आफ्रिका में उत्तर तरफ और उत्तरीय देशों में दक्षिण तरफ। खुद मक्का में किब्ला के चारों तरफ चार इमाम नमाज पढ़ने बैठते हैं-- एक का मुँह पूर्व को, एक का मुँह पश्चिम को, एक का उत्तर को और एक का दक्षिण को, दिशा की बात ही नहीं है। और हिंदू तो जब सूर्य को नमस्कार करते हैं तब उनका मुँह पूर्व की तरफ होता है अन्यथा जिधर मूर्ति होती है उधर ही प्रणाम करते हैं, मूर्ति का मुँह पूर्व को हो तो पुजारी का मुँह पश्चिम को होगा जिससे मूर्ति से सामना हो सके।

साधारणतः हिन्दुदेवों का स्थान सब जगह माना जाता है। ईश्वर की शक्तियाँ नाना ढंग से नाना दिशाओं में हैं इसलिये हिंदू सब दिशाओं में प्रणाम करता है। तीर्थों के विषय में यह कहा जासकता है—

सेतुबन्ध जेरुसलम काशी मक्का या गिरनार।
सारनाथ सम्मेदशिखर में बहती तेरी धार॥
सिन्धु गिरि नगर नदी वन ग्राम।
कहूं क्या, कहां कहां है धाम।

किब्ला के विषय में यह कहा जासकता है---

क्या मसजिद मन्दिर गिरजाघर मक्का और मदीना।
खुदा जहां किब्ला है वो ही खुदा भरा तिलतिल में।
है किब्ला तेरे दिल में ॥

अब बतलाइये झगड़ा किधर है ?

८ दाढ़ी चोटी

हिन्दू मुस्लिम दंगों को 'दाढ़ी चोटी संग्राम' कहा जाता है। जबकि दाढ़ी चोटी ये फैशन हैं इनका हिन्दू मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं। सिक्ख दाढ़ी रखते हैं - हिन्दू सन्यासी दाढ़ी रखते हैं - राजस्थान के तथा अन्य प्रांतों के क्षत्रिय दाढ़ी रखते हैं और भी बहुत से हिन्दू दाढ़ी रखते हैं जबकि हजारों मुसलमान ऐसे हैं जो दाढ़ी नहीं रखते इसलिये दाढ़ी को लेकर हिन्दू मसलमानों में कोई भेद नहीं है।

रह गई चोटी की बात, सो चोटी का भी कोई नियम नहीं है। लाखों हिन्दू चोटी नहीं रखते और बहुत से मुसलमान किसी न किसी तरह चोटी रखते हैं--वे सिर पर चोटी नहीं रखते टोपी पर चोटी रखते हैं पर रखते हैं, इसलिये चोटी से भी हिन्दू मुसलमानों में कोई भेद नहीं है।

असल बात यह है कि यह सब फैशन है। पुराने जमाने में लोग स्त्रियों सरीखे लम्बे बाल रखते थे साफ सफाई की अड़चन से लोग गर्दन तक बाल रखने लगे। बादमें किनारे किनारे बाल कटाकर बीच में बड़ा चोटला रखने लगे जैसे दक्षिण में अभी भी रिवाज है, वह चोटला कम होते होते चार बालों की चोटी रह गई,

और अन्तमें चोटी भी साफ होगई। जैसे लम्बी लम्बी मूछों से मक्खी सरीखीं मूछें रहीं और अन्तमें साफ हो गईं यही वात चोटी की हुई। पश्चिम में एक और फेशन था-लोग सिर तो घुटालेते थे पर एक तरहकी टोपी लगा लेते थे जिस पर बहुत सुन्दरता से सजाये हुए नकली वाल रहते थे। पुराने जमानेमें इंग्लेण्ड के लार्ड ऐसी टोपियों का उपयोग करते थे इस प्रकार सिर के वालों का फेशन टोपी के वालों का फैशन वन गया और इसीलिये सिर की चोटी तुर्कस्तान में टोपी की चोटी वन गई। इसीलिये तुर्की टोपी लगानेवाले मुसलमान सिर पर चोटी न रखकर टोपीपर चोटी रखते हैं। हां, बहुत से हिन्दू और मुसलमान न सिर पर चोटी रखते हैं न टोपीपर चोटी रखते हैं। इस प्रकार हिन्दुत्व और मुसलमानियत, दोनों ही न चोटी से लटक रहे हैं न दाढ़ी में फँसे हैं इसलिये इस वात को लेकर झगड़ा व्यर्थ है।

९ देशभेद

कहा जाता है कि हिन्दू पहिले से यहां रहते हैं और मुसलमान अरवी हैं या पिछले हजार वर्ष में वाहर से आये हैं। इस प्रकार दोनों के पूर्वज जुदे जुदे होने से दोनों में स्थायी एकता नहीं हो पाती।

इसमें सन्देह नहीं कि मुट्ठी दो मुट्ठी मुसलमान वाहर से जरूर आये हैं पर आज जो हिन्दुस्थान में आठ करोड़ मुसलमान हैं वे जाति से हिन्दू ही हैं, यद्यपि अव एक धर्म का नाम भी हिंदू हो गया है और सामाजिक क्षेत्र भी बट गया है इसलिये मुसलमान

अपने को हिन्दू न कहें -- हिन्दी, हिन्दुस्थानी या भारतीय आदि कहें पर इसमें शक नहीं कि हिन्दुओं की जाति और मुसलमानों की जाति जुदी नहीं है। जिन हिन्दुओं ने धर्मपरिवर्तन कर लिया वे ही मुसलमान कहलाने लगे --इससे जाति या वंशपरम्परा कैसे बदल गई ? आज मैं अगर मुसलमान हो जाऊं तो कुछ रहन-सहन बदल लूंगा नाम भी बदल लूंगा पर क्या बाप भी बदल लूंगा ? अपने पुरखे भी बदल लूंगा ? बाप और पुरखे वे ही रहेंगे जो मुसलमान होने के पहिले थे, तब जाति जुदी कैसे हो जायगी। इसलिये राम कृष्ण महावीर बुद्ध व्यास चन्द्रगुप्त अशोक विक्रम आदि जैसे हिन्दुओं के पुरखे हैं वैसे ही मुसलमानों के पुरखे है दोनों को उनका गौरव मानना चाहिये। इसप्रकार जातीय दृष्टिसे हिन्दू मुसलमान बिलकुल भाई भाई हैं धर्म जुदा है तो रहने दो। बुद्ध और अशोक का धर्म तो आज के हिन्दू भी नहीं मानते फिर भी उन्हें अपना पूर्वज समझते हैं। कई दृष्टियों से हिन्दू धर्म और बौद्ध धर्म में जितना अन्तर है उतना हिन्दू धर्म और इसलाम में नहीं।

यों तो कोई भी धर्म बुरा नहीं है, कौन सा धर्म अच्छा और कौनसा बुरा या कम अच्छा यह तुलना करना फजूल है. अपनी अपनी योग्यता परिस्थिति और रुचि के अनुसार सभी अच्छे हैं। हिन्दू अगर मुसलमान होगये तो इससे किसी की भी धर्महानि नहीं हुई, सत्य सब जगह था जिसको जहां से लेना था सो ले लिया इसमें किसी का क्या बिगड़ा। रुचि के अनुसार धर्म क्रिया करने से जाति या देश जुदे जुदे नहीं होजाते। इसलिये मुसलमान भी हिन्दुओं के समान हिन्दू हिन्दी हिन्दुस्थानी हैं। उनका भी

इस देशपर उतना ही अधिकार है जितना हिन्दू कहलानेवालों का। दोनों ही एक माता की सन्तान हैं।

रह गई उन मुसलमानों की बात जो बाहर से आये हैं। ऐसे मुसलमान बहुत थोड़े तो हैं ही, साथ ही उनमें भी शायद ही कोई ऐसा मुसलमान हो जिसका सम्बन्ध हिन्दू रक्त से न हो या इनेगिने ही होंगे। सम्राट् अकबर के बाद मुगल बादशाहों में भी आधे से ज्यादा हिन्दू रक्त पहुंच गया था जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता ही गया।

मनुष्य ने अपनी समाज-रचना से चाहे जो कुछ व्यवस्था बनाई हो लेकिन कुदरत ने तो चलते फिरते प्राणियों को मातृवंशी ही बनाया है अर्थात् इनमें जातिभेद मादा के अनुसार बनता है नर के अनुसार नहीं। जमीन में जैसे आप गेहूं चना आदि के भेद से जुदी जुदी जाति के झाड़ पैदाकर सकते हैं वैसे गाय भैंस या नारी में नर के भेद से जुदी जुदी तरह के प्राणी पैदा नहीं कर सकते, वहां मादा की जाति ही सन्तान की जाति होगी।

ऐसी हालत में हिन्दू माताओं से पैदा होनेवाले मुसलमान भी जाति से हिन्दू ही रहे, धर्म से भले ही वे मुसलमान कहलाते हों। इस प्रकार बाहर से आये हुए मुसलमान भी कुछ पीढ़ियों में पूरी तरह हिन्दू जाति के बन गये हैं। इसलिये यह कहना कि मुसलमान बाहर के हैं और हिन्दू यहां के हैं बिलकुल गलत है। दोनों एक हैं - दोनों के पुरखे एक हैं - जाति एक है - देश एक है। इसलिये अरबी या हिन्दुस्थानी होनेसे हिन्दू मुसलिम मेलको अस्वाभाविक बतलाना ठीक नहीं।

१० लिपिभेद

कहा जाता है कि हिन्दुओं की लिपि देवनागरी है और मुसलमानों की फारसी, अब दोनों में मेल कैसे हो ?

यह एक नकली झगड़ा है। इसलाम का मूल अगर अरब में माना जाय तो अरबी को महत्ता मिलना चाहिये फारस तो इसलाम के लिये ऐसा ही है जैसा कि हिन्दुस्थान। फारस में हिन्दुस्थान की या हिन्दुस्थान में फारस की लिपि को इतनी महत्ता क्यों मिलना चाहिये।

खैर, मिलने भी दो, पर न तो नागरी हिन्दुओं की लिपि है न फारसी मुसलमानों की। बंगाल के हिन्दू नागरी पसन्द नहीं करते, मद्रास तरफ भी हिन्दू नागरी नहीं समझते खास तौर से जिनने सीखी है उनकी बात दूसरी है, उधर पंजाब तरफ के हिन्दू नागरी की अपेक्षा फारसी का उपयोग ही अच्छी तरह करते हैं और मध्यप्रान्त के मुसलमान फारसी लिपि नहीं समझते। इस प्रकार भारत में अगर फारसी लिपि को स्थान मिला है तो वह प्रान्त के अनुसार मिला है न कि जाति के अनुसार। इसलिये इन्हें हिन्दू मुसलमानों के भेद का कारण बनाना भूल है।

अच्छी बात तो यह है कि सर्वगुणसम्पन्न कोई ऐसी लिपि हो जिसमें लिखने और पढ़ने में गड़बड़ी न हो छपाई का सुभीता हो सरल भी हो। देवनागरी में भी इस दृष्टि से बहुत सी कमी है वह दूर करके या और किसी अच्छी लिपि का निर्माण करके उसे राष्ट्र लिपि मानलेना चाहिये।

पर जब तक लोगों के दिल अविश्वास से भरे हैं तब तक

के लिये यह उचित है कि नागरी और फारसी दोनों ही राष्ट्र लिपि-याँ मानली जाँय। हरएक शिक्षित को इन दोनों लिपियों के पढ़ने का अभ्यास होना चाहिये और लिखना वही चाहिये जिसका पूरा अभ्यास हो। कुछ दिनों बाद जब जाति का घमंड न रह जायगा तब जिसमें सुभीता होगा उसीको हिन्दू और मुसलमान दोनों अपनालेंगे।

११ भाषाभेद

लिपि की अपेक्षा भाषा का सवाल और भी सरल है जब-र्दस्ती उसे जटिल बनाया जाता है। लिपि तो देखने में जरा अलग मालूम होती है और उसमें सरल कठिन का भेद नहीं किया जा सकता पर भाषा तो हिन्दी उर्दू एक ही है। दोनों का व्याकरण एक है क्रियाएं एक हैं अधिकांश शब्द एक हैं, कुछ दिनों से संस्कृत-वालों ने संस्कृत शब्द बढ़ाने शुरु किये, अरबी फारसीवालों ने अरबी फारसी शब्द, बस एक भाषा के दो रूप होगये और इसपर हम लड़ने लगे। हम दया कहें कि मिहर, इसीपर हमारी मिहरबानी और दयालुता का दिवाला निकल गया, प्रेम और मुहब्बत में ही प्रेम और मुहब्बत न रही।

भाषा तो इसलिये है कि हम अपनी बात दूसरों को समझा सकें, बोलने की सफलता तभी है जब ज्यादा से ज्यादा आदमी हमारी बात समझें अगर हमारी भाषा इतनी कठिन है कि दूसरे उसे समझ नहीं पाते तो यह हमारे लिये शर्म और दुर्भाग्य की बात है। जब मैं दिल्ली तरफ जाता हूं तब व्याख्यान देने में मुझे कुछ शर्म सी मालूम होने लगती है। क्योंकि मध्यप्रान्त निवासी होने के

कारण और जिन्दगी भर संस्कृत पढ़ाने के कारण मेरी भाषा इतनी अच्छी अर्थात् सरल नहीं है कि वहां के मुसलमान पूरी तरह समझ सकें। इसलिये मैं कोशिश करता हूं कि मेरे बोलने में ज्यादा संस्कृत शब्द न आने पावें, इस काम में जितना सफल होता हूं उतनी ही मुझे खुशी होती है और जितना नहीं हो पाता उतना ही अपने को अभागी और नालायक समझता हूं। मुझे यह समझमें नहीं आता कि लोग इस बात में क्या बहादुरी समझते हैं कि हमारी भाषा कम से कम आदमी समझें। ऐसा है तो पागल की तरह चिल्लाइये कोई न समझेगा, फिर समझते रहिये कि आप बड़े पंडित हैं।

हरएक बोलनेवाले को यह समझना चाहिये कि बोलने का मजा ज्यादा से ज्यादा आदमियों को समझाने में है। पागल की तरह बेसमझ की बातें बकने में नहीं।

हाँ, सुननेवालों को भी इतना खयाल रखना चाहिये कि हो सकता है कि बोलनेवाला सरल से सरल बोलने की कोशिश कर रहा हो पर जिन शब्दों को वह सरल समझ रहा हो वे अपने लिये कठिन हों उसका भाषा-ज्ञान ऐसा इकतरफा हो कि वह ठीक तरह से हिंदुस्थानी या सरल भाषा न बोल पाता हो तो उसकी इस बेबशी पर हमें दया करना चाहिये। बिना समझे घमण्डी या ऐसा ही कुछ न समझना चाहिये।

और बातों में लड़ाई हो तो समझ में आती है पर भाषा में लडाई हो तो कैसे समझें? भाषा से ही तो हम समझ सकते हैं। इसलिये चाहें लड़ना हो चाहे मिलना हो पर भाषा तो ऐसी ही बोलना पड़ेगी जिससे हम एक दूसरे की गाली या तारीफ

समझ सकें।

१२ धार्मिक उदारता

हिंदूधर्म और इस्लाम दोनों ही उदार हैं और इस विषयमें साधारण हिंदू समाज और मुसलमान समाज भी उदार है। पर मुश्किल यह है कि एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते। हिंदूधर्म में तो साफ कहा है—

'यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वम् मत्तेजोंशसम्भवम्'

जितनी विभूतियाँ हैं वे सब ईश्वर के अंश से पैदा हुई हैं। इसलिये हिन्दू दृष्टि में तो किसी भी धर्म के देव हों हिन्दू से वन्दनीय हैं। साधारण हिन्दू का व्यवहार भी ऐसा होता है। उस व्यवहार में विवेकरूपी प्राण फूँकने की जरूरत अवश्य है पर उसमें उदारता अवश्य है। इस्लाम के अनुसार तो हर कौम और हर मुल्क में खुदा ने पैगम्बर भेजे हैं और उनका मानना हरएक मुसलमान का फर्ज है इसलिये साधारणतः मुसलमान किसी धर्म के महात्माओं का खण्डन नहीं करते, ऐसे मुसलमान कवियों की संख्या कम नहीं है जिनने श्रीकृष्ण आदि की स्तुति में पन्ने भरे हैं। दुर्गा और भैरव तक के गीत गाने में मुसलमान कवि किसी से पीछे नहीं हैं पर दुख इस बात का है कि बहुत कम हिन्दुओं को इस बात का पता है। मुसलमानों में धार्मिक उदारता कम नहीं है। हाँ, राजनैतिक चालबाजियों ने अवश्य ही कभी कभी अनुदारता का नंगा नाच कराया है पर साधारण मुसलमान उदार हैं। जरूरत है एक दूसरे के समझने की।

१३ नारी अपहरण

बहुत से लोगों की शिकायत है कि मुसलमान लोग हिन्दू नारियों का अपहरण करते हैं। अपहरण से यहाँ फुसलाना आदि भी समझ लिया जाता है। पर इस विषय में हिंदू मुसलमानों में उन्नीस बीस का ही अन्तर है। ऊँची श्रेणी के मुसलमान और ऊँची श्रेणी के हिन्दू दोनों ही नारी-अपहरण नहीं करते। बाकी हिन्दू और मुसलमानों में अपहरण होता है। जिन लोगों में तलाक का रिवाज है और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उन लोगों में इस तरह अपहरण होते हैं। हां, यह बात अवश्य है कि मुसलमान लोग मुसलमान और हिन्दू कहीं से भी अपहरण करते हैं जबकि हिन्दू हिन्दुओं में से ही खासकर अपनी जाति में से ही अपहरण करते हैं। इसका कारण हिन्दुओं का जातीय संकोच है— अपहरण-वृत्ति का अभाव नहीं। इसका इलाज मुसलमानों को कोसना नहीं है किंतु अपनी क्षुद्र जातीयता का त्याग करना है।

हिन्दुओं में बहुत-सी जातियां ऐसी हैं जिनमें विधवाओं को दूसरा विवाह करने की मनाई है — ऐसी विधवाएं जब ब्रह्मचर्य से नहीं रह पातीं तब वे भ्रष्ट हो जाती हैं उस समय प्रायः हिन्दू जातियों में उसे स्थान नहीं मिलता तब वे राजी खुशी से मुसलमान होना पसन्द कर लेतीं हैं। हिन्दू लोग अगर क्षुद्र जातीयता का त्याग कर दें और विधवा-विवाह का विरोध दूर कर दें तो नारी अपहरण की घटनाएं न हो सकें।

फिर भी अगर कभी ऐसी घटना हुई हो जहां किसी नारी के साथ अत्याचार हुआ हो तो वहां सामान्य नारी रक्षण की दृष्टि

से प्रयत्न करना चाहिये । नारी अपहरण का दोष किसी जाति के मत्थे न मढ़ना चाहिये । साधारणतः यही कहना चाहिये कि उस गुंडे ने या उन गुंडोंने ऐसा काम किया है ।

जब तक हिन्दू मुसलमानों के दिल साफ नहीं हैं तभी तक यह झगड़ा है और बात बात में एक दूसरे पर शंका होने लगती है । इसका फल यह होता है कि जब अत्याचार गौण और जातीय द्वेष मुख्य बन जाता है तब ऐसे लोग भी साथ देने लगते हैं जो अत्याचार से घृणा करते हैं किन्तु जातीय अपमान सहन नहीं कर सकते । इससे समस्या और उलझ जाती है । इसलिये ऐसी घटनाओं को जातीय रंग में न रँगना चाहिये । सार बात यह है कि जब दोनों के मन का मैल धुल जायगा और हिन्दू लोग अपनी जातीय संकुचितता और पुनर्विवाहविरोध दूर कर देंगे तो नारी-अपहरण की समस्या बिलकुल हल हो जायगी । एक दूसरे के साथ घृणा प्रगट करने से वह समस्या हल नहीं होसकती ।

१४ छूत अछूत

मुसलमानों की यह शिकायत है कि हिन्दू उन्हें अछूत समझते हैं । इसमें सन्देश नहीं कि हिन्दुओं में छूत-अछूत की बीमारी है पर इसका उपयोग वे मुसलमानों के साथ कुछ विशेषरूप में करते हैं यह बात नहीं है । हिन्दू भंगी चमार बसोर महार आदि हिन्दुओं को जितना अछूत समझते हैं उतना मुसलमानों को नहीं । बल्कि मुसलमानों को अछूत समझते ही नहीं । हां, उनके साथ नहीं खाते पीते, सो तो वे एकधर्म एक वर्ण के लोगों के साथ भी नहीं खाते पीते । इस विषय में मुसलमानों के साथ खास घृणा नहीं की जाती ।

हिन्दुओं की दृष्टि में तो हिन्दुओं की हजारों जातियों के समान मुसलमान भी एक जाति है।

छूत अछूत के प्रश्न में हिन्दू मुसलमानों को मिलाने की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी हिन्दू हिन्दू को मिलाने की। इस बात को लेकर हिन्दू मुसलिम द्वेष के लिये कोई स्थान नहीं है।

इस प्रकार और भी बहुत सी छोटी छोटी बातें मिलेंगी पर ऐसी सैकड़ों बातें तो एक मां बाप से पैदा हुए दो भाइयों में भी पाई जातीं है पर इससे क्या वे भाई भाई नहीं रहते? हिन्दू मुसलमान भी इसी तरह भाई भाई है।

नासमझी से या स्वार्थी लोगों के बहकाने से एक दूसरे पर अविश्वास पैदा हो रहा है और दोनों ऐसा समझ रहे हैं मानों एक दूसरे को खाजांयगे। इसी झूठे भय से कभी कभी एक दूसरे का सिर फोड़ देते हैं। पर क्या हजार पांचसौ हिन्दुओं के मरने से या हजार पांचसौ मुसलमानों के मरने से हिन्दू या मुसलमान नष्ट होजाँयगे?

सन् १९१८ में इन्फ्लुएंजामें एक करोड़से भी अधिक आदमी मर गये थे फिर भी जब बाद में मर्दुमशुमारी हुई तो पहिले से साठ लाख आदमी ज्यादा थे। उस इन्फ्लुएंजा से ज्यादा तो हम एक दूसरे को नहीं मार सकते फिर कैसे एक दूसरे को नष्ट कर देंगे।

हिन्दू सोचें कि हम मुसलमानों को मार भगायेंगे तो यह असम्भव है। जिस दिन मुट्ठी भर मुसलमान हिन्दुस्थानमें आये उस दिन हिन्दू स्वतंत्र शासक होकर भी नहीं भगा सके या नष्टकर सके अब आज खुद गुलाम होकर आठ करोड़ मुसलमानों को क्या

भगायेंगे ? यदि मुसलमान सोचें कि हम हिन्दुओं को नेस्तनाबूद कर देंगे तो जिन दिनों उनके हाथ में हिन्दुस्थान की बादशाहत थी उन दिनों वे हिन्दुओं को नेस्तनाबूद न कर सके तो आज खुद गुलाम होकर वे क्या हिन्दुओं को नेस्तनाबूद करेंगे ।

दोनों में से एक भी किसी दूसरे को नेस्तनाबूद नहीं कर सकता । हाँ, दोनों लड़कर आदमियत को नेस्तनाबूद कर सकते है शैतान बनकर इस गुलजार चमन को दोजख बना सकते हैं ।

पाकिस्तान

कुछ लोग हिन्दू मुसलमानों के झगड़ों को निपटाने के लिये पाकिस्तान की योजना सामने लाने लगे हैं । अगर पाकिस्तान से भलाई होती हो तो किसी को भी उसके बनाने में इतराज नहीं है । पर हिन्दू मुसलमान इस तरह देश भर में फैले हुए हैं कि उनकी बस्ती अलग अलग करना असंभव है । पाकिस्तान में भी हिन्दुओं को रहना होगा और हिन्दुस्तान में भी मुसलमानों को । दोनों के स्वार्थ जैसे आज एक हैं वैसे कल भी एक रहेंगे । पर शायद उस दिन हिन्दू समझेंगे कि अब हम स्वतंत्र हैं मुसलमान समझेंगे कि हम स्वतंत्र हैं जब कि वास्तव में दोनों के दोनों गुलाम रहेंगे । कदाचित् घमंड में आकर अल्पमत कौम को दबाना चाहें तो दूसरी जगहके लोग उसका बदला लेंगे इस प्रकार वैर वैर को बढ़ाता जायगा न पाकिस्तानवाले खुशहाल होंगे न हिन्दुस्थानवाले । अपने पाप से फूट से अन्याय से गुलाम रहेंगे बर्बाद होंगे ।

अन्त में वहां भी मिलकर दोनों को एक बनना होगा इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है तो उसके लिये अभी और यहीं प्रयत्न

क्यों न किया जाय। एक ही नस्लके और एक ही देश के रहने वाले भाई सदा के लिये बिछुड़कर वैर मोल क्यों लें?

चुनाव

दोनों भाइयों के अविश्वास का एक परिणाम यह है कि कौंसिलों आदि में जुदा जुदा चुनाव किया जाता है। सरकार की यह नीति किसी तरह समझमें नहीं आती। इससे दोनों और भी अधिक बिछुड़े हैं और स्वरक्षामें भी कुछ लाभ नहीं हुआ है। अगर कहीं हमारी संख्या दस फीसदी है और हमने लड़ झगड़कर पन्द्रह सीटें ले लीं और उनको हमने ही चुना, मेम्बरों को दूसरे लोगों से कुछ मतलब ही न रहा तो इसका फल यह होगा कि जैसे हमारे पन्द्रह मेंबर दूसरों से कोई ताल्लुक नहीं रखते उसी प्रकार दूसरे पचासी मेम्बर भी हमसे कोई ताल्लुक नहीं रक्खेंगे। दस के पंन्द्रह मेम्बर लेलेने पर भी हमारा बहुमत तो हुआ नहीं और जो बहुमत के मेम्बर आये उनसे हमारी जान पहिचान भी एक वोटर के नाते नहीं हुई। ऐसी हालत में वे मनमानी करना चाहें तो हमारे दस के बदले पन्द्रह मेम्बर क्या करलेंगे। इसकी अपेक्षा यही अच्छा है कि हम जनसंख्या के अनुसार ही अपने मेम्बर चाहें और सम्मिलित चुनाव करें। दूसरे मेम्बरों के चुनाव में हमारा हाथ हो और हमारे मेम्बरों के चुनाव में दूसरों का हाथ हो। इसका परिणाम यह होगा कि हरएक मेम्बर को दोनों जाति के वोटरों से काम पड़ेगा इसलिये धारासभाओं में कट्टर मुसलमान और कट्टर हिन्दू न पहुँचकर उदार मुसलमान और उदार हिन्दू पहुँचेंगे।

अल्पमत बहुमत तो जहां जिनका है वहां उन्हीं का रहेगा, पर एक दूसरे की पर्वाह न करनेवाले और फूट फैलने में ही अपनी इज्जत समझनेवाले मेम्बर न रहेंगे। इसी में हिन्दू मुसलमान दोनों की भलाई है।

उपसंहार

अन्त में हिंदू और मुसलमान दोनों से मेरी प्रार्थना है कि वे अब अलग अलग होने की कोशिश न करें। एक दूसरे के उत्सवों में, त्यौहारों में, धर्मक्रियाओं में मिलने की कोशिश करें। दोनों मिलकर मंदिरों का - दोनों मिलकर मस्जिदों का उपयोग करें, अपने को एक ही नस्ल का समझें। अन्त में दोनों मिलकर इस तरह एक हो जाँय कि बड़ा से बड़ा शैतान भी दोनों को न लड़ा सके।

हिन्दूमुस्लिममेल हुए विना कोई भी चैन से नहीं रह सकता इसलिये वह कभी न कभी होकर ही रहेगा। पर हम जितनी देर लगायेंगे उतने दिनों तक दोजख के दुःख भोगते रहेंगे, इसलिये जल्दी से जल्दी हमें मेल की कोशिश करना चाहिये और मेल करने का एक भी मौका न छोड़ना चाहिये।

इतना अवश्य करें

१– अगर आप मनुष्य मात्र को एक जाति मानते हों, सब धर्मों में समभाव रखकर सबसे उचित लाभ उठाना चाहते हो, सामाजिक जीवन में जरूरी परिवर्तन करना चाहते हों और इसके लिये एक संगठन की जरूरत समझते हों तो सत्यसमाज के सदस्य अवश्य बनिये और सत्यसमाज के प्रचार में तनमनधन से सहायता कीजिये।

२–अपने गांव में सत्यसमाज का एक धर्मालय अवश्य बनाइये जो मनुष्यमात्र को दर्शन करने के लिये खुला रहता है जिसमें भ. सत्य, भ. अहिंसा और राम कृष्ण महावीर बुद्ध जरथुस्त ईसा आदि महात्माओं की मूर्तियाँ और कुरानशरीफ की पुस्तक या मक्काशरीफ की आकृति विराजमान रहती हैं।

ऐसा धर्मालय वर्धा स्टेशन के पास बोरगांव की हद में सड़क के किनारे सत्याश्रम में बना है, आकर दर्शन कीजिये।

३–सप्ताह में एकदिन ऐसा अवश्य रखिये जब हिन्दू मुसलमान आदि सब मिलकर सब धर्मों और जातियोंमें मेल बढ़ानेवाली प्रार्थनाएँ, स्वाध्याय, चर्चा या व्याख्यानादि कर सकें।

४–दूसरे धर्मवालों के धार्मिक उत्सवों में आदर के साथ शामिल होने की कोशिश कीजिये।

—दरबारीलाल सत्यभक्त

सत्यभक्त-साहित्य

१ सत्यामृत— मानवधर्मशास्त्र [दृष्टिकांड] मूल्य १।)
अपने और जगत के जीवन को सुखी बनाने के लिये, सत्य पाने के लिये जीवन को कैसा बनाना चाहिये, जीवन कैसे और कितने तरह के होते हैं, धर्म जाति आदि का समभाव कैसे व्यावहारिक बन सकता है आदि का मौलिक विवेचन विस्तार से किया गया है। इस महाशास्त्र का स्वाध्याय अवश्य कीजिये।

२ कृष्णगीता--मूल्य बारह आना।

श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवादरूप होनेपर भी चौदह अध्याय की यह गीता भगवद्गीता से बिलकुल स्वतन्त्र है। कर्मयोग के सन्देश के साथ इसमें धर्मसमभाव ज़ातिसमभाव नरनारीसमभाव अहिंसादि व्रत, पुरुषार्थ, कर्तव्याकर्तव्यनिर्णय का बड़ा अच्छा विवेचन किया गया है। विविध छन्दों में ९५८ पद्य हैं जिनमें बहुत से मनोहर गीत भी हैं।

३ निरतिवाद--मूल्य छः आना।=)

साम्यवाद और पूंजीवाद के अतिवादों से बचाकर निकाला गया बीच का मार्ग। साथ ही विश्वकी सामाजिक धार्मिक राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने की व्यावहारिक योजना।

४ सत्य संगीत— मूल्य दस आना।

भ. सत्य, भ. अहिंसा, राम कृष्ण महावीर बुद्ध ईसा मुहम्मद आदि महात्माओंकी प्रार्थनाएँ अनेक भावनागीत तथा भावपूर्ण कविताओं का संग्रह।

५ जैनधर्ममीमांसा (प्रथम भाग)-- मूल्य एक रुपया.

६ जैनधर्ममीमांसा (दूसरा भाग)- मूल्य १॥) ।

७ शीलवती-- मूल्य एक आना ।

८ विवाह-पद्धति-- मूल्य एक आना ।

सप्तपदी, भाँवर, मंगलाष्टक मंगलाचरण आदि के सुन्दर पद्य सबको समझ में आनेवाली एक नयी विवाह पद्धति. इस पद्धति से अनेक विवाह हुए हैं और विरोधी दर्शकों ने भी इसकी सराहना की है। पूरी विधि हिन्दी में ही है ।

९ भावनागीत-सत्यसमाज-- मूल्य एक आना ।

१० नागयज्ञ (नाटक)-- मूल्य आठ आने ।

भारत के आर्य और नागों का परस्पर द्वंद, उसका हल, और अन्त में दोनों का मेल; एक ऐतिहासिक कथानक को लेकर अनेकरसपूर्ण चित्रण के द्वारा बताया गया है ।

११ हिन्दूमुस्लिम-मेल --मूल्य डेढ़ आना ।

१२ निर्मल योग सन्देश--मूल्य दो पैसा

निम्नलिखित ग्रंथ छप रहे हैं :—

१३ आत्म कथा-- मूल्य करीब एक रुपया ।

१४ सत्यामृत--(आचार कांड) - मूल्य करीब १।)

१५ जैनधर्म मीमांसा (तीसरा भाग)- मूल्य करीब १॥)

सत्याश्रम, वर्धा [सी. पी.]

ये पुस्तकें हिंदी-ग्रन्थ-रत्नाकर हीराबाग गिरगांव बम्बईसे भी मिलेंगी ।